



कार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 03 / अ-3 / 2014-15  
प्रति,

कोण्डागांव, दिनांक 12.02.2015

साधिव,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,  
मंत्रालय, सहानदी भवन,  
नया रायपुर.

विषय :- ग्राम आलोर तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव के पारा/टोलों को  
राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम पंचायत आलोर जनपद पंचायत फरसगांव  
तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव द्वारा दिनांक 25.08.2006 को ग्राम सभा आयोजित  
कर ग्राम आलोर के पारा/टोला को ग्रामों में विभाजन हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित  
किया गया था। तत्संबंध में तहसीलदार फरसगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
फरसगांव के जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959  
(क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला  
कोण्डागांव तहसील फरसगांव के प0ह0न0 14 आलोर के ग्राम आलोर को विभाजित कर  
झाटीबन को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने बाबत अधिसूचना जारी किया गया है।  
जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

Kf  
12/2/15  
कलेक्टर,  
3 जिला कोण्डागांव

(47)

पु0क्रमांक / 03 / अ-3 / 2014-15

कोण्डागांव, दिनांक 12.02.2015

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग / आदिम जाति कल्याण विभाग / वन विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग / भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, वस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
5. वन संरक्षक, वृत्त कांकर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 / वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (रा) कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. तहसीलदार, फरसगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

K  
कलेक्टर, 12/2/15  
2 जिला कोण्डागांव



68

**कार्यालय कलेक्टर एवं बन्दोबस्त अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)**  
**// अधिसूचना //**

कोण्डागांव, दिनांक 12/02/2015

क्रमांक 03 /अ-3/14-15/2015 - यतः जिला कोण्डागांव अनुभाग कोण्डागांव तहसील फरसगांव के ग्राम आलोर से पारा/टोला आटीबन को विभाजन हेतु दिनांक 25.08.2006 को ग्राम पंचायत आलोर ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किए जाने एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम का विभाजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार फरसगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) कोण्डागांव से अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित पारा/टोला इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स. क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम में सम्मिलित पारा टोला का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आटीबन	1. आटीबन 2. भीमाभाटा 3. कोनाडीडीही	1050.238	उत्तर- मण्डारवण्डी दक्षिण- कोन्दाबेड़ा पूर्व - आलोर पश्चिम- कोकोड़ाजुगानार	14 आलोर	आलोर	फरसगांव	कोण्डागांव



कलेक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी  
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)



49

Office of the Collector & Settlement Officer, District Kondagaon (C.G.)

//NOTIFICATION//

Kondagaon dated, 12/02/2015

No. 03 / A-3/14-15/2015 Whereas, the Proposal of Division of village Alore Tehsil-Pharasaon, Sub Division-Kondagaon District- Kondagaon into **Jhatiban** village has been received with the recommendation of Tehsildar Kondagaon and Sub Divisional Officer (Revenue) Kondagaon in respect of the resolution passed in Gram Shaba held on 25-08-2006 at Mulmula.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that Para/Tola's shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of village	"Para"/"Tola's" included in village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panch-ayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jhatiban	1- Jhatiban 2- Bhimabnata 3- Konadidih	1050.238	North - Bhandarvandi South - Kondabeda East- Alore West - Kokodajuganar	14 Alore	Alore	Pharasaon	Kondagaon



Collector & Settlement Officer,  
District Kondagaon (C.G.)